

### महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये प्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बन्धित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डित कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. प्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिह्नित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

\*\*\*\*\*

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

**Note:** Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

**Question No.1**

**[3 Marks]**

Whether the Limitation Act, 1963, applies to the proceedings under Article 32 and 226 of the Constitution of India? Explain in brief.

**प्रश्न संख्या 1**

क्या परिसीमा अधिनियम, 1963, के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 की कार्यवाहियों पर लागू होते हैं? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।

**Question No.2**

**[3 Marks]**

What are "Money Bills" under the Constitution? By which judgment a Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court upheld the passing of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as a Money Bill?

**प्रश्न संख्या 2**

संविधान के अन्तर्गत "धन विधेयक" क्या हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किस निर्णय में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को एक धन विधेयक के रूप पारित करने को सही माना है?

**Question No.3**

**[3 Marks]**

Define "Pleader" under the Code of Civil Procedure, 1908? Describe the provisions relating to appointment of the Pleader.

**प्रश्न संख्या 3**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत "प्लीडर" से क्या अभिप्रेत है? प्लीडर की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

**Question No.4**

**[3 Marks]**

Write a short note on Suits by Indigent Persons. Under what circumstances court shall reject the application for permission to sue as an Indigent Person?

**प्रश्न संख्या 4**

निर्घन व्यक्तियों द्वारा वाद पर लघु टिप्पणी लिखिए। किन दशाओं में निर्घन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय नामंजूर करेगा?

**Question No.5**

**[3 Marks]**

Whether following transactions amount to transfer? Explain in short.

**प्रश्न संख्या 5**

क्या निम्नलिखित संव्यवहार अंतरण की श्रेणी में आते हैं? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।

(A) Partition.

(अ) विभाजन।

(B) Exchange.

(ब) विनिमय।

**Question No.6**

**[3 Marks]**

"A" deposits the title deeds of his property with Bank "X" to secure an overdraft. "A" asks the Bank to return the deeds on the ground that he wants to sell the property and clear the overdraft. The usual practice in such a case was for the prospective buyer to inspect the title deeds in the office of the mortgagee's advocate. But "A" said that he would not get a good price, if the buyer came to know that the Bank had the deeds. The Bank manager returned the deeds to "A". Then "A", borrowed money from another Bank "Y" on the deposit of same title deeds falsely representing that there was no encumbrance.

As between Banks "X" and "Y", who will have the priority to recover the dues from the property? Support your answer with relevant provision of law.

**प्रश्न संख्या 6**

"अ" अपनी सम्पत्ति के हक विलेख "एक्स" बैंक के पास अपने ऋण की प्रतिभूति हेतु जमा करवाता है। "अ" बैंक को विलेखों को इस आधार पर लौटाने हेतु कहता है कि वह अपनी सम्पत्ति को बेचना व अपने ऋण को चुकाना चाहता है। इस प्रकार के मामले में प्रस्तावित क्रेता हेतु सामान्य प्रचलन यह था कि वह बंधकग्रहीता के अधिवक्ता के कार्यालय में हक विलेखों का निरीक्षण कर ले। परन्तु "अ" ने कहा कि यदि क्रेता को यह पता चल जायेगा कि उक्त सम्पत्ति के हक विलेख बैंक के पास हैं तो वह अच्छी कीमत प्राप्त नहीं कर पायेगा। बैंक मैनेजर "अ" को

विलेख लौटा देता है। इसके पश्चात "अ" दूसरे बैंक "वाई" से इन्हीं हक विलेखों को, मिथ्या रूप से यह दर्शित करते हुए कि इस सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जमा करवाकर धन उधार लेता है।

देय राशि की सम्पत्ति से वसूली हेतु "एक्स" और "वाई" बैंक में से कौन प्राथमिकता रखेगा? विधि के सुसंगत प्रावधान से समर्थित करते हुए उत्तर दीजिये।

### Question No.7

[3 Marks]

State in brief with statutory provisions and reasons, whether permanent injunction can be granted in following cases?

### प्रश्न संख्या 7

विधिक प्रावधानों के संदर्भ में कारण सहित संक्षेप में बताईये कि, क्या निम्नलिखित मामलों में स्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है?

- (A) To restrain his/her spouse from second marriage.
- (अ) अपने पति/पत्नी को दूसरा विवाह करने से रोकने के लिये।
- (B) To prevent the breach of a contract, the performance of which is specifically enforceable.
- (ब) ऐसी संविदा के भंग को रोकने के लिये, जो विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तनीय है।

### Question No.8

[3 Marks]

"X" offered to sell his house to "Y" at the price of Rs. 50 Lacs. "Y" stated that he is ready to purchase the house at Rs. 45 Lacs. "X" refuses to sell. Sometime later "Y" goes to "X" with Rs. 50 Lacs to buy the house.

Whether the offer of "X" for Rs. 50 Lacs is still valid? Explain with reasons.

### प्रश्न संख्या 8

"एक्स" ने अपने मकान को 50 लाख रुपये में विक्रय करने का प्रस्ताव "वाई" को दिया। "वाई" ने कहा है कि वह मकान को 45 लाख रुपये में क्रय करने के लिये तैयार है। "एक्स" विक्रय से मना कर देता है। कुछ समय बाद "वाई" उक्त मकान क्रय करने के लिये 50 लाख रुपये लेकर "एक्स" के पास जाता है।

क्या "एक्स" का 50 लाख रुपये का प्रस्ताव अभी तक वैध है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

**Question No.9****[3 Marks]**

Describe the procedure by which the President of India can issue a proclamation of national emergency.

**प्रश्न संख्या 9**

उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिये जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है।

**Question No.10****[3 Marks]**

Law favors alienation of property than its accumulation. Discuss.

**प्रश्न संख्या 10**

विधि, सम्पत्ति के संचयन का नहीं उसके अन्य-संक्रमण का पक्ष लेती है। विवेचना कीजिए।

**Question No.11****[4 Marks]**

Distinguish the followings-

**प्रश्न संख्या 11**

निम्न को विभेदित कीजिए—

- (A) Revision, Review and Reference.
- (अ) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन और निर्देश।
- (B) Non-Joinder and Mis-Joinder of parties.
- (ब) पक्षकारों का असंयोजन एवं कुसंयोजन।

**Question No.12****[4 Marks]**

Amongst the followings, which contract is specifically enforceable and which is not? Explain with reasons and support of relevant provisions.

**प्रश्न संख्या 12**

निम्नलिखित में से कौनसी संविदा विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तनीय है और कौनसी नहीं है? सुसंगत प्रावधानों के समर्थन से कारण सहित बताइए।

- (A) Contract to marry.

- (अ) विवाह करने की संविदा।
- (B) A contract to execute a mortgage deed.
- (ब) बंधक—विलेख निश्पादित करने की संविदा।
- (C) An agreement to sell the land.
- (स) भूमि को विक्रय करने का करार।
- (D) 'A' & 'B', contract to become partners in a certain business.
- (द) 'अ' तथा 'ब', किसी व्यवसाय में भागीदार बनने की संविदा करते हैं।

**Question No.13**

**[4 Marks]**

“Contents of a document can only be proved by primary evidence”, briefly explain the exceptions to this principle.

**प्रश्न संख्या 13**

“दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है”, संक्षेप में इस सिद्धान्त के अपवादों को स्पष्ट कीजिए।

**Question No.14**

**[4 Marks]**

With appropriate illustrations explain Continuing Guarantee and revocation thereof.

**प्रश्न संख्या 14**

चलत प्रत्याभूति एवं उसके प्रतिसंहरण को उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

**Question No.15**

**[4 Marks]**

Which are the modes of execution of orders under the Rajasthan Rent Control Act, 2001?

**प्रश्न संख्या 15**

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत आदेशों के निष्पादन की कौनसी रीतियां हैं?

**Question No.16****[6 Marks]**

Explain the "Settlement of disputes outside the Court", as embodied under Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908. Narrate the guidelines issued in leading judgments of Hon'ble Supreme Court, in this regard.

**प्रश्न संख्या 16**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में वर्णित "न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा" को स्पष्ट कीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों में इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख कीजिए।

**Question No.17****[6 Marks]**

Plaintiff "A" institutes a suit for permanent injunction against defendant "B" on 20.02.2002. After filling of Written Statement by the defendant, the court framed the issues and fixed the case for Plaintiff's evidence on 21.07.2005. On 21.07.2005 the Plaintiff himself appeared for his evidence but the defendant and his counsel did not appear in the court. On this, the court recorded statement of Plaintiff and closed the defendant's opportunity of cross examination and also passed the order to proceed ex-party against the defendant. The case was fixed for evidence of plaintiff's remaining witnesses for 11.08.2005.

Defendant appeared on 11.08.2005 and filed an application under Order IX Rule 7 CPC with the averments that he could not appear on 21.07.2005 due to marriage in the family and his counsel was busy in other courts, hence, the counsel also could not appear and prayed to allow him to cross examine the Plaintiff by setting-aside the ex-party order passed against him.

Plaintiff, in his reply, rebutted all the facts raised in the application and contended that above application was presented with an intention to delay the case.

Write an order on such application with relevant provisions and brief reasons.

**प्रश्न संख्या 17**

वादी "अ" स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद दिनांक 20.02.2002 को प्रतिवादी "ब" के विरुद्ध प्रस्तुत करता है। प्रतिवादी के लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित कर प्रकरण को वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 21.07.2005 के लिए नियत किया गया। दिनांक 21.07.



2005 को वादी स्वयं अपनी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ परन्तु प्रतिवादी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय द्वारा वादी का कथन लेखबद्ध कर प्रतिवादी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर बन्द कर दिया तथा प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का भी आदेश पारित किया। प्रकरण वादी के शेष साक्षियों की साक्ष्य के लिये दिनांक 11.08.2005 हेतु नियत की गई।

दिनांक 11.08.2005 को प्रतिवादी उपस्थित हुआ व एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि दिनांक 21.07.2005 को परिवार में शादी होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में व्यस्त थे, अतः वह भी उपस्थित नहीं हो सके, और स्वयं के विरुद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त कर वादी से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर सभी तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अभिकथित किया।

सुसंगत प्रावधानों एवं कारणों को संक्षिप्ततः उल्लेखित करते हुए उक्त आवेदन पत्र पर आदेश लिखिए।

#### Question No.18

[6 Marks]

Define "Pledge", "Pawnor" and "Pawnee". What are the Pawnee's rights? Discuss elaborately.

#### प्रश्न संख्या 18

"गिरवी", "पणयम्कार" एवं "पणयम्दार" को परिभाषित कीजिए। पणयम्दार के क्या अधिकार हैं। विस्तृत रूप से विवेचित कीजिए।

#### Question No.19

[6 Marks]

What is the meaning of tenant under the Rajasthan Rent Control Act, 2001, and what is the procedure for eviction of a tenant?

#### प्रश्न संख्या 19

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किरायेदार से क्या अभिप्रेत है, एवं किरायेदार की बेदखली की क्या प्रक्रिया है?

#### Question No. 20

[6 Marks]

Distinguish between the following-

#### प्रश्न संख्या 20



निम्न में विभेद स्पष्ट कीजिए—

(A) Substantial Law and Procedural Law.

(अ) सारवान विधि एवं प्रक्रियात्मक विधि।

(B) Repeal and Amendment.

(ब) निरसन एवं संशोधन।

(C) Judicial Precedents and Legislation.

(स) न्यायिक पूर्वनिर्णय एवं विधान।

**Question No.21**

**[10 Marks]**

Write short notes on the followings-

**प्रश्न संख्या 21**

निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियां लिखिए—

(A) Relevancy of the character of a person in civil cases.

(अ) सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के आचरण की सुसंगतता।

(B) Relevancy of the opinion as to handwriting.

(ब) हस्तलेख के बारे में राय की सुसंगतता।

(C) The idea of "Single Citizenship" under the Constitution of India.

(स) भारत के संविधान के अंतर्गत "एकल नागरिकता" की अवधारणा।

(D) Presumption as to documents thirty years old.

(द) तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।

(E) Recording of the evidence of a witness unable to speak.

(य) बोलने में असमर्थ साक्षी की साक्ष्य को लेखबद्ध करना।

**Question No.22****[10 Marks]**

Write a reasoned judgment on the following facts-

**Averments in the Plaintiff**

On 19.04.2018, the plaintiff instituted a suit against the defendant on the facts that he purchased the suit property through an agreement dated 13.05.2000 and he is in continuous possession since then and he constructed a room thereupon. According to the plaintiff, he is in settled possession over the suit property. On 15.01.2001, plaintiff filed an application for regularization of his land, in prescribed form enclosing site plan and necessary documents before defendant Municipality, in accordance with the circular of State Government and deposited a cheque No. 05560671 amounting Rs. 50250/- on the basis of self determination. On 25.03.2018, the officers of the defendant came on the suit property and started demolishing the boundary wall and construction. On the protest of plaintiff, they returned back telling that the suit property is of the ownership of defendant and they will dispossess him, for which defendant has no right. At the end plaintiff prayed to issue permanent injunction in his favor and against the defendant not to demolish the construction and boundary wall of the suit property, not to dispossess him and not to do so through their agent or servant etc. If, during the pendency of the suit, plaintiff would be dispossess from suit property than the same be restored and order to the defendant to regularize the suit property in favor of plaintiff.

**Averments in the Written Statement**

The possession of the plaintiff over the suit property is not legally valid. Presently, the nature of the suit property is of agriculture land, which has not been regularized. The construction was not constructed with the permission of the defendant. The defendant did not order to deposit the amount for regularization. Presently, the suit property is shown in the name of defendant in the Jamabandi. Plaintiff is a trespasser. The construction is illegal. Plaintiff is not having settled possession. Hence, defendant has every right to remove the construction work and to evict the plaintiff from the suit property. At the end, defendant prayed to dismiss the suit with cost.

प्रश्न संख्या 22

निम्नलिखित तथ्यों पर एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये:-

### वाद के अभिवचन

दिनांक 19.04.2018 को वादी ने एक वाद प्रतिवादी के विरुद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उसने वादग्रस्त सम्पत्ति को अनुबंध दिनांक 13.05.2000 के द्वारा क्रय किया और तब से ही उसका निरन्तर आधिपत्य है और उसने वहां पर एक कमरे का निर्माण भी करवा रखा है। वादी के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति पर उसका स्थापित आधिपत्य है। दिनांक 15.01.2001 को वादी ने प्रतिवादी-नगरपालिका के समक्ष नक्शा व आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए उक्त भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र के अनुरूप, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और स्वनिर्धारण के आधार पर एक चैक संख्या 05560671 रूपये 50250/- का जमा करावाया। दिनांक 25.03.2018 को प्रतिवादी के अधिकारीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर आये और चारदीवारी व निर्माण को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया। वादी के विरोध करने पर वे यह कहते हुए वापिस चले गये कि यह भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व की है और वे उसे बेदखल करके रहेंगे। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में वादी ने स्वयं के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की कि प्रतिवादी उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त सम्पत्ति पर से निर्माण कार्य एवं चारदीवारी को ध्वस्त नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे और न ही अपने किसी एजेन्ट नौकर आदि से करवाये एवं यदि वाद के लम्बन काल के दौरान वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वादी को पुनः आधिपत्य दिलवाया जाये एवं प्रतिवादी को आदेशित किया जाये कि वह वादी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति का नियमन करे।

### लिखित कथन के अभिवचन

वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी का आधिपत्य विधितः वैध नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त सम्पत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की है जिसका नियमन नहीं किया गया है। निर्माण कार्य प्रतिवादी की अनुमति से नहीं कराया गया है। प्रतिवादी ने नियमन हेतु राशि जमा करवाने का आदेश नहीं किया था। वर्तमान में जमाबन्दी में वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी के नाम दर्शित है। वादी अतिक्रमी है। निर्माण अवैध है। वादी का स्थापित आधिपत्य नहीं है। अतः प्रतिवादी के पास निर्माण कार्य को हटाने व वादी को विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करने का प्रत्येक अधिकार है। अन्त में प्रतिवादी द्वारा वाद को खर्चे सहित खारिज करने की प्रार्थना की गई।

\*\*\*\*\*